कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1314146 दि० 30-03-2014

पत्र सं0-विधि-4(3)/ सामान्य / 2012-13 / [redacted] / वाणिज्य कर 1853

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक : 29 मार्च, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पर इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के Schedule-II Part A की प्रविष्टि सं0 125 के संबंध में मुख्यालय के पत्र सं0-विधि-4(3) / सामान्य / 2012-13 / 1539 / वाणिज्य कर दिनांक 8 , फरवरी, 2013 द्वारा जो वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी थी ,उसका समुचित अनुपालन फील्ड के कतिपय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र सं0-विधि-4(3) / सामान्य / 2012-13 / 1539 / वाणिज्य कर दिनांक 8 , फरवरी, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के Schedule-II Part A की प्रविष्टि सं0 125 के संबंध में निम्नवत् वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी थी -

"125. Tractors, Tractor trolley , Harvesters & attachments & parts thereof ; Tractor tyres and Tubes ."

" उक्त प्रविष्टि के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस प्रविष्टि में ट्रेक्टर , ट्रेक्टर ट्राली , हार्वेस्टर्स , इन सभी के अटैचमेंट तथा पार्ट्स को समाहित किया गया है। इस प्रविष्टि में वर्णित शब्द "thereof" अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे स्पष्ट है कि इस प्रविष्टि से केवल हार्वेस्टर्स के अटैचमेंट तथा पार्ट ही आच्छादित नहीं हैं अपितु ट्रेक्टर , ट्रेकटर ट्राली तथा हार्वेसटर्स इन सभी के अटैचमेन्ट तथा पार्ट्स समाहित हैं। अत: इस संबंध में कोई भ्रम की स्थिति उचित नहीं है। "

उक्तानुसार विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रविष्टि के संबंध में वस्तुस्थिति मुख्यालय के उक्त पत्र द्वारा स्पष्ट की गयी विधिक स्थिति के अनुरूप ही है। यह स्वत: स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रविष्टि में " ; " का प्रयोग Tractors , Tractor Trolley , Harvesters & attachments & parts thereof के पश्चात हुआ है अत: attachments & parts thereof को Tractors , Tractor Trolley , Harvesters इन सभी के लिए ही पढ़ा जाएगा।उपर्युक्त प्रविष्टि में tractor tyres and tubes ";" के पश्चात उल्लिखित होने के कारण Tractors , Tractor Trolley , Harvesters & attachments & parts thereof से पृथक रहेंगे।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भ्रम की कोई स्थिति नहीं रह जाती है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में प्रेषित है।

(योगेन्द्र कुमार) 29.3.14
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ